आवश्यक

संख्या 33/2021/1667319/2021/-2/1363565/12-2099/86/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2021

विषय: कृषकों को उर्वरकों की शतप्रतिशत बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमों/पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 22/2021/1363565/12-2099/86/2021 दिनांक 25 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश के द्वारा कृषकों को उर्वरकों की बिक्री वास्तविक आवश्यकता के अनुसार शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमों/पर्ची दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

2. आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में वर्षा प्रारम्भ हो जाने के कारण कृषकों द्वारा खरीफ फसलों के अन्तर्गत धान फसल की नर्सरी तथा अगेती धान की रोपाई के साथ-साथ गन्ने एवं चारे की फसलों में यूरिया उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस कारण प्रदेश मे कृषकों के मध्य उर्वरकों की मांग बढ़ गई है। जनपदों में सुचारू-रूप से उर्वरकों की आपूर्ति एवं कृषकों को निर्धारित दरों पर उर्वरकों की बिक्री शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) उर्वरक विनिर्माताओं/प्रदायकर्ता संस्थाओं के द्वारा थोक उर्वरक विक्रेता एवं थोक उर्वरक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तक उर्वरक स्टाक प्राप्त होते ही आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल एवं पी0ओ0एस0 मशीन में एक्नालेजमेंट की व्यवस्था रीयल टाईम की जाए। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेंट होता है, वैसे ही ऑन लाइन प्रणाली को भी अद्ययावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमें विलंब करने वाले थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा स्टाक एक्नालेजमेंट करने के उपरान्त पी0ओ0एस0 मशीन या एन्ड्राइड फोन/कम्प्यूटर में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से ही उर्वरकों की बिक्री की जाए।

(iii) जनपद में बफर गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टाक का आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टाक का पी0ओ0एस0 मशीन से मिलान कराते हुए सत्यापन की कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. जनपद में आपूर्तित एवं उपलब्ध उर्वरकों की कृषकों को बिक्री उनकी कृषि जोत, बोई जाने वाली फसल की संस्तुतियों के अनुसार की जाये। कृषकों में उर्वरकों की वास्तविक बिक्री के सत्यापन हेतु प्रत्येक माह टॉप-20 यूरिया बायर्स की सूची एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध होती है। शासनादेश संख्या: 15/2021/807/12-2-2021-एफ.58/2008 दिनांक 09 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशानुसार नियमित रूप से स्थलीय सत्यापन करायी जाए।

अत: कृपया शासनादेश दिनांक 25 मई, 2021 में दिये गये निर्देशों सहित उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 33/2021/1667319/2021/-2/1363565 /12-2099/86/2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त राज्य विपणन प्रबंधक/विपणन प्रबंधक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।